राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांकः एफ 15 () सा.सु./नव./सान्याअवि/2024/ 13698 जयपुर, दिनांकः 5/1/2-24

परिपत्र

विषयः—राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जॉच के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्धन, प्रर्यवेक्षण एवं नशे से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षा, पश्चातवर्ति देख-रेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम-2020 बनाये गये हैं।

उक्त नियमों के क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 73835-68 दिनांक 19.12.2022 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह लिखा गया था कि ऐसा कोई संगठन जो उक्त नियमों में निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों को पूर्ण/पालना करता है और जिलें में नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु आवेदन किये जाने उपरान्त उक्त प्रस्तावों को बिन्दु संख्या 09 में नामित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति से अनुमोदन/अभिशंषाा पश्चात् संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संस्था/संगठनों को राज्य में नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु लाईसेंस/अनुज्ञप्ति जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी।

नशामुक्ति केन्द्र संचालन करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निदेशालय को प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रस्तावों की अभिशंषा इस आधार पर नहीं की जाती है कि संगठ्न द्वारा नशामुक्ति केन्द्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। जबकि इन नियमों के बिन्दु संख्या 7 (3) (i) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का आशय रखने वाले संगठ्न को आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठ्न इन नियमों के अधीन किसी केन्द्र के संचालन के लिए विहित **न्यूनतम मानकों का पालन करने में सक्षम है**, ऐसी जाँच जो वह उचित समझे, कर सकेगा।

पूर्व में जारी विभागीय समसंख्यक पत्राकं दिनांक 19.12.2022 को अधिक्रमित करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के बिन्दु संख्या 9 के अन्तर्गत

Raj Ref No.: 10288702

05/3/24

गठित जिला स्तरीय समिति अनुज्ञप्ति हेतु किसी संगठन से प्राप्त प्रस्तावों की इस आशय की जॉच करेगी कि यदि उस संगठन को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है तो वह इन नियमों में विहित न्यूनतम मानकों के अनुसार केन्द्र स्थापित करने एवं संचालन करने की क्षमता रखता है।

अतः निदेशालय स्थित अनुज्ञापन प्राधिकरण को उक्त नियमों के बिन्दु संख्या 7 (3) (i) के अनुसार इस आशय की निरीक्षण रिपोर्ट कि वह संगठन इन नियमों के अधीन नशामुक्ति केन्द्र के संचालन हेतु विहित न्यूनतम मानकों का पालन करने में सक्षम है, भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्राधिकरण को पात्र संगठनों को नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने में कोई कठिनाई ना हों।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः एफ 15 () सा.सु./रानिकेनि/सान्याअवि/2024/13699-706 जयपुर, दिनांकः 05/09/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी) मुख्यवास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Document certified by GHANENDRA BHAN CHATURVEDI <STOICJPR@YAHOO.CO.IN>

Digitally Signed by
Ghanendra Bhan Chaturvedi
Designation : Director
Date :05-09-2024 03:16:33

RajKaj Ref No.: 10288702